सार्वजनिक वितरण प्रणाली में संशोधन

160. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कतिपय संशोधन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इन संशोधनों को कब तक कार्यरूप दिए जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना व सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि दूरस्थ दूर-दूर तक फैले, पहाड़ी, आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर तरीके से पहुंच सके । इस प्रयोजन के लिए लगभग 1700 ब्लाकों को चुना गया है । सरकार ने जून 1992 से इन अभिज्ञात क्षेत्रों में वितरण के लिए विशिष्ट अतिरिक्त आवटन किए हैं । इन क्षेत्रों में वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं व चावल विशेष राजसहायता युक्त मूल्यों पर सप्लाई किया जा रहा है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार

161. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछले कुछ माह के दौरान वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो मई, 1992 के अन्त तक कौन-कौन से नए स्थानों पर सार्वजनिक वितरण की दुकानें खोली गई हैं ; और

(ग) भ्रष्टाचार को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान प्रणाली में क्या-क्या सुधार किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने के लिए कदम उठाए हैं ताकि देश के दूर-दूर तक फैले, पहाड़ी, आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में यह बेहतर तरीके से पहुंच सके । विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम मरुस्थल विकास कार्यक्रम समेकित आदिवासी विकास परियोजना तथा निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के तहत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों का राज्य सरकारों के परामर्श से पता लगाया गया है । शुरू किए गए उपायों में ये शामिल हैं जिन क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें कम हैं अथवा नहीं हैं वहां अतिरिक्त दुकानें खोलना, इस प्रणाली की सुविधा से वंचित आबादी को राशन कार्ड जारी करना जहां आवश्यक हो वहां भंडारण की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करना आदि ।

(ख) नई उचित दर की दुकानों की सही-सही अवस्थिति के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब तक 8800 से अधिक उचित दर की दुकानें खोली जा चुकी हैं ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जाली राशन कार्डों/इकाइयों को समाप्त करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की उचित दर की दुकानों के दरवाजे

पर सुपुदर्गी का प्रयास करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति तथा वितरण की परिवीक्षा करने के लिए ग्रा.म/उचित दर दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करने आदि के लिए कार्यवाही करते रहे हैं । इसके अलावा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी कदाचारों को रोकने के लिए नियमित रूप से दौरे करते हैं ।

Pilferage of Coal

162. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pilferage of coal at its source and in transit is on the increase in the country;

(b) whether it is also a fact that small scale industry of Northern India is the worst hit due to this pilferage;

(c) whether the Ministry of Railways and Coal India Ltd. have jointly enquired into the loss due to pilferage; and

(d) if so, the joint action plan suggested to check the pilferage and avoid (financial loss to small scale units?

THE DEPUTY MINISTER 'IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) and (b) Coal India Ltd. (CIL) have reported that while there are cases of pilferage from the collieries, and also during rail transit, it cannot be said that the pilferage from the collieries is on the increase. CIL have no firm data about the alleged pilferage of coal during rail transit, and its impact on the small icale industries.

(c) and (d) Coal India Ltd. (CIL) have reported that no joint exercise has been done by CIL and Ministry of Railways, to enquire into the loss due to pilferage. Coal companies are, however, tightening the arrangements regarding weighment at the time of loading of coal. All out efforts are being made by coal companies to ensure maximum serviceability of weighbridges, and full utilisation/use of the available weighbridges so that as much weighment as possible is done of the rail-borne coal. Consumers can also post their representatives to inspect loading and weighment of coal at the loading/weighment points.

Mafia activities in coalfields

163. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the *Economic Times* dated the 13th April, 92 captioned "coal Mafia surfaces with vengeance";

(b) whether it is a fact that 25 lakh MTs of steam coal valued about Rs- 250 crores has been pilfered by the Mafia directly from the collieries and illegally diverted to private coal dumps throughout the country;

(c) whether it is also a fact that the Mafia activities in the coalfields go on in connivance with the local officials of the CIL and its subsidiaries and the Railways; and

(d) if so, what are the details of the plan of action to tackle the problem? ,

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA); (a) Yes, Sir.

(b) Government have not received any report of pilferage of coal of such high magnitude from collieries. Presumably the Hon'ble Member is referring to alleged pilferage of direct feed and washed coking coal being supplied by Coal India Limited (CIL) to steel plants. The total quantity of such coal supplied to steel plants during March '92 from CIL sources was 7.45 lakh tonnes. As such the alleged shortage of 25 lakh tonnes is even more than the supplies made.

(c) and (d) Coal is sold by coal companies on ex-pithead basis- Coal companies extend full opportunity to the